

प्रेषक

धर्मराज सिंह
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।
बोध, समाज कल्याण

ਲਖਨਾਂਤੁ : ਦਿਨਾਂਕ 6 ਨਵੰਬਰ, 2012

विषय : वित्तीय वर्ष 2012-13 में आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से द्वितीय/अंतिम किश्त(केन्द्रांश+राज्यांश) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

भारत सरकार के प्रतांक-59(6) / पी0एफ0-I / 2011-1694, दिनांक 28.03.2012 द्वारा जारी केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1220/-76/- एक/आई0एच0एस0डी0पी0/2012-13, दिनांक 16 अगस्त, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद मिर्जापुर की 853 आवासों के सापेक्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 385 आवासों की 01 परियोजना के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-83 से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में उल्लिखित केन्द्रांश+राज्यांश की द्वितीय/अन्तिम किश्त की धनराशि रु0 5,25,86,000/- (रु0 पांच करोड़ पच्चीस लाख छियासी हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रथम किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की धनराशि शासनादेश संख्या-676/26-ब0प्र0-2010-09(बजट) / 10टीसी, दिनांक 12 अगस्त, 2010 द्वारा जारी की जा चुकी है:-

(धनराशि लाख रु० में)

क्रमांक	जनपद / परियोजना	कुल आवासों की संख्या	कुल परियोजना लागत (सेन्टेर चार्ज व लेबर सेस अतिरिक्त)	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु द्वितीय/ अंतिम किश्त की स्वीकृत धनराशि अवस्थापना सुविधाओं सहित। (केन्द्रीय+राज्यांश)	
					1	2
3	4	5	6			
1	मिर्जापुर / मिर्जापुर	853	2552.14	385		525.86
	योग					525.86

- उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/व्यय वित्त समिति/प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
 - उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमत्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमत्य नहीं होगा।
 - उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास/अभिकरण व सम्बन्धित ढूड़ा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर तत्काल सम्बन्धित ढूड़ा इकाई/ उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
 - उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
 - प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा), उ०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

कमशः..... 2 /

6. उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण कार्य की आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रातिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-298/दस-2012-244/2011, दिनांक 20.3.2012 के प्रस्तर-3/4 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में यथा कलेण्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
8. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ आहरण के वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेख से अवश्य करायें।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस०एल०एन०ए० (सूडा), यह सुनिश्चित कर लें कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप है, एवं आगणन सहित अन्य किसी भी कारण से त्रुटिवश अन्तर धनराशि यदि कोई हो तो उसे राज कोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
11. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम०ओ०य०) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित ढूड़ा को निर्देशित किया जायेगा।
2. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखा शीर्षक “4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य शहरी विकास योजनाये-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-इन्ट्रीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (के.80/रा.20-के.+रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-1515/दस-2012-231/2012, दिनांक 09 जुलाई 2012 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(धर्मराज सिंह)
अनुसंचित।

संख्या: ५६२ (१) / २६-ब०प्र०-१२-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, 20 सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मिर्जापुर।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनु०-२/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-३/ नियोजन अनु०-४
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनु०-१ को केन्द्रीय प्राप्त होने विषयक भारत सरकार के पत्रांक-५९(६)/पी०एफ०-I/2011-1694, दिनांक 28.03.2012 के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य कोषांधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निदेशक, सूडा, को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

८२५
(धर्मराज सिंह)
अनुसंचित।